

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//


क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक...../03/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 603/गोपनीय/2021 जबलपुर दिनांक 15 जुलाई, 2021 द्वारा श्री आशीष दवंडे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंटी वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

वेतनमान रु. 39530-54010 में प्राप्त वेतन एवं दिनोंक	उच्च न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनोंक एवं पदोन्नति का स्थान	निर्धारित वेतन	देय दिनोंक	आगामी वेतनवृद्धि का दिनोंक
43690/- 28.05.2021	22.07.2021 (दोपहर पूर्व) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद, जिला खण्डवा	51550/-	22.07.2021	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक ...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक...../03/2022

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री आशीष दवंडे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

  
रजिस्ट्रार(एम)